

16.08.2022:- आज यह पत्रावली पेशी मे आई। वादीया मलकीत कौर जरिये अधिवक्ता श्री मनजिन्द्र सिंह लेगा द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीया अपना वादपत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चलाना चाहती है। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादीया अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर वादीया अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये। अतः वादपत्र वादीया मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

